फोन : 25674980
ई-मेल : ddgvig(@dgest.org

सतर्कता सावधानी

ई-मेल / स्पीड पोस्ट द्वारा

सं.109/21/विविध/सामान्य/सत./रसं

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा संपदा महानिदेशालय,
रक्षा संपदा भवन,
उलान बाटर मार्ग,
दिल्ली छावनी - 110010

16 अक्टूबर 2015

सेवामें,
प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा
मध्य / पूर्व / उत्तर / दक्षिण / दक्षिण पश्चिम / पश्चिम कमान
लखनऊ / कोलकाता / जम्मू / पुणे / जयपुर / चंडीगढ़

विषय :: त्यौहार के दौरान उपहार लेने के संबंध में सावधानी ।

महानिदेशालय की ओर से रक्षा संपदा संगठन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को **"दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं''** ।

2. आपसे यह भी अनुरोध है कि उपहारों को स्वीकार करने, विशेष रूप से त्यौहार के सुअवसर के दौरान, के बारे में सरकारी सेवकों के लिए लागू सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 13 के बारे में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सावधान कर दें।

3. आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचालन के लिए नियम-13 की प्रति संलग्न है। कृपया इसका सख्ती से पालन किया जाए ।

4. इसे महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त है ।

(योगेश कुमार)
उप महानिदेशक
रक्षा संपदा

अनुलग्नक : यथोपरि

प्रतिलिपि :

1. डीजीडीई / निदेम / ए.यू. एवं आर.सी. के सभी अधिकारी
2. सभी रक्षा संपदा अधिकारी / मुख्य अधिशासी अधिकारी (ई-मेल द्वारा)
3. डीजीडीई वेबसाइट / डी.एम.एस

केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 13

13. उपहार

(1) जब तक इन नियमों में अन्यथा न दिया जाए तब तक कोई भी सरकारी कमर्चारी कोई भी उपहार न तो स्वयं स्वीकार करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपनी जगह काम करने वाले किसी अन्य व्यति को स्वीकार करने की अनुमति देगा ।

स्पष्टीकरण – **"उपहार" नामक अभिव्यिक्त में नि:शुल्क परिवहन, भोजन, आवास या कोई अन्य सेवा या किसी निकट संबंधी या मित्र, जिसका सरकारी कमर्चारी से कार्यालय की हैसियत से कोई संबंध न हो, को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया धन संबंधी लाभ शामिल है ।**

टिप्पणी (1) - कभी कभार किए गए भोजन, लिफ्ट लेने या अन्य सामाजिक आतिथ्य स्वीकार करने को उपहार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा ।

टिप्पणी (2) - किसी सरकारी कमर्चारी को किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसका उससे पदीय हैसियत से संबंध हो या किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि की ओर से बहुत अधिक या बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिए ।

(2) विवाह, वार्षिकोत्सव, दाह-संस्कार या धार्मिक उत्सवों पर जबकि धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुसार उपहार दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से या मित्रों से, जिनके साथ उसके कार्यालयी संबंध नहीं हैं, उपहार स्वीकार कर सकते हैं किन्तु यदि उपहार की कीमत नीचे दिए गए मूल्य से अधिक हो तो सरकारी कर्मचारी इसकी सूचना सरकार को देगा :

(i) समूह 'क' पद पर कार्यरत सरकारी कमर्चारियों के मामले में सात हजार रूपए ।

(ii) समूह 'ख' पद पर कार्यरत सरकारी कमर्चारियों के मामले में चार हजार रूपए ।

(iii) समूह 'ग' पद पर कार्यरत सरकारी कमर्चारियों के मामले में दो हजार रूपए ।

(iv) समूह 'घ' पद पर कार्यरत सरकारी कमर्चारियों के मामले में एक हजार रूपए ।

(3) किसी भी अन्य मामले में उपहार का मूल्य निम्नलिखत से अधिक होने पर, सरकारी कमर्चारी उसे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा –

(i) समूह 'क' या समूह 'ख' के पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में एक हजार पाँच सौ रूपए ।

(ii) समूह 'ग' अथवा समूह 'घ' के पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में पाँच सौ रूपए ।

(4) उप नियम (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी यदि सरकारी कर्मचारी भारतीय प्रतिनिध मंडल में है अथवा वह अन्यथा विदेशी प्रतिनिधियों से उपहार स्वीकार कर सकता है किन्तु एक बार प्राप्त किए गए ऐसे उपहारों का बाजार मूल्य एक हजार से अधिक न हो । बाकी सभी मामलों में ऐसे उपहारों को स्वीकार करने और रखने के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेश लागू होंगे ।

(5) सरकारी कर्मचारी ऐसी किसी विदेशी फर्म से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा जिसके साथ भारत सरकार संविदा तय कर रही हो अथवा जिससे उसके कार्यालयी संबंध होने की संभावना हो । सरकारी कर्मचारी किसी अन्य फर्म से उप नियम (3) के उपबंधों के अधीन उपहार स्वीकार सकता है ।

फोन : 25674980
ई-मेल : ddgvig(@dgest.org

सतर्कता सावधानी

ई-मेल / स्पीड पोस्ट द्वारा

सं.109/21/विविध/सामान्य/सत./रसं

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा संपदा महानिदेशालय,
रक्षा संपदा भवन,
उलान बाटर मार्ग,
दिल्ली छावनी - 110010
19 अक्टूबर 2015

सेवामें,
प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा
मध्य / पूर्व / उत्तर / दक्षिण / दक्षिण पश्चिम / पश्चिम कमान
लखनऊ / कोलकाता / जम्मू / पुणे / जयपुर / चंडीगढ़

विषय :: त्यौहार के दौरान उपहार लेने के संबंध में सावधानी ।

इस महानिदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 के संदर्भ में ।

2. उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना जी.एस.आर. सं.149(ई) दिनांक 04 मार्च, 2014 की प्रति भी भेजी जा रही है। केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 13 को उपर्युक्त अधिसूचना के साथ पढ़ा जाए।

(योगेश कुमार)
उप महानिदेशक
रक्षा संपदा

अनुलग्नक : यथोपरि

प्रतिलिपि :
1. डीजीडीई / निदेम / ए.यू. एवं आर.सी. के सभी अधिकारी
2. सभी रक्षा संपदा अधिकारी / मुख्य अधिशासी अधिकारी (ई-मेल द्वारा)
3. डीजीडीई वेबसाइट / डी.एम.एस

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935
No. 105] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 149(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक एवं अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के उपरांत, राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) संशोधन नियमावली, 2014 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल संवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 मे, नियम 13 में, उप-नियम (2) में, खंड (i), (ii), (iii), और (iv), के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"(i) किसी भी समूह 'क' पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में पच्चीस हजार रुपए;

(ii) किसी भी समूह 'ख' पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में पन्द्रह हजार रुपए;

(iii) किसी भी समूह 'ग' पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी के मामले में सात हजार पांच सौ रुपए ।"

[फा. सं. 11013/3/2013-स्था. (क)]

ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव (स्थापना)

नोट:— मुख्य नियम, का.आ. संख्या 4177 दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे –

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक	भारत के राजपत्र, भागII, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ.सं.	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	25/33/68-स्था.(क)	3 फरवरी, 1970	482	14 फरवरी, 1970
2.	25/11/72-स्था.(क)	24 अक्तूबर, 1972	3643	4 नवम्बर, 1972
3.	25/57/64-स्था.(क)	5 जनवरी, 1973	83	13 जनवरी, 1973
4.	11013/12/75-स्था.(क)	13 फरवरी, 1976	846	28 फरवरी, 1976
5.	25/19/74-स्था.(क)	30 जून, 1976	2563	17 जुलाई, 1976
6.	11013/19/75-स्था.(क)	6 जुलाई, 1976	5691	24 जुलाई, 1976
7.	11013/6/75-स्था.(क)	24 नवम्बर, 1976	4663	11 दिसम्बर, 1976
8.	11013/4/75-स्था.(क)	24 अगस्त, 1977	2859	17 सितम्बर, 1977
9.	11013/3/78-स्था.(क)	22 सितम्बर, 1978	2859	30 सितम्बर, 1978
10.	11013/12/78-स्था.(क)	20 दिसम्बर, 1978	3	6 जनवरी, 1980
11.	11013/3/80-स्था.(क)	24 अप्रैल, 1980	1270	10 जून, 1980
12.	11013/21/84-स्था.(क)	3 अक्तूबर, 1985	4812	19 अक्तूबर, 1985
13.	11013/6/85-स्था.(क)	21 फरवरी, 1986	935	8 मार्च, 1986
14.	11013/11/85-स्था.(क)	7 मार्च, 1986	1124	22 मार्च, 1986
15.	11013/5/86-स्था.(क)	4 सितम्बर, 1986	3159	20 सितम्बर, 1986
16.	11013/16/85-स्था.(क)	10 सितम्बर, 1986	3280	27 सितम्बर, 1986